रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232965 CG-DL-E-28012022-232965

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] No. 50] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 28, 2022/माघ 8, 1943 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 28, 2022/ MAGHA 8, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसुचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

सा.का.िन. 50(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुछ नियमों में और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्याक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अविध की समाप्ति के पश्चापत विचार किया जाएगा।

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, परिवहन, टोल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे अथवा comments-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

प्रारूप नियम

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-(1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (...... संशोधन) नियम, 2022 कहा जा सकता है।
 - (2) बशर्ते, अन्यथा इन नियमों में निहितानुसार ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

590 GI/2022 (1)

2.	केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में, नियम 115-जी के उप नियम (1) में, शब्दों, अंकों और विराम चिह्नों, "विद्युत
	मंत्रालय संख्या 1072 (अ), दिनांकित 23 अप्रैल, 2015." के बाद, " का.आ. 5020(अ), दिनांकित 6 दिसंबर, 2021
	द्वारा तत्पश्चातु संशोधित और समय-समय पर संशोधित" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. आरटी-11028/03/2021-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उपधारा (i) की अधिसूचना संख्या सा.का.िन. 590 (अ), दिनांक 2 जून, 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या......, दिनांकित द्वारा संशोधित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2022

G.S.R. 50(E).—The following draft rules further amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Gazette of India, are made available to the public.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL, Transport, Toll), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001, on the email: comments-morth@gov.in.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Draft Rules

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called as the Central Motor Vehicles (......Amendment) Rules, 2022.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in the sub rule (1) of rule 115-G, after the words, figures and punctuation, "Ministry of Power number 1072 (E), dated the 23rd April, 2015." the words, "subsequently amended by S.O. 5020(E), dated 6th December, 2021 and as amended from time to time" shall be inserted.

[F. No. RT-11028/03/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* Notification numberdated...........